

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--00--

क्रमांक 36/प्र.स./स्वा/सत्रह/ मेडि-तीन

भोपाल, दिनांक 15/03/2020

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष
2. समस्त संभागायुक्त/ कलेक्टर मध्य प्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत

विषय:- COVID-19 (कोरोना वायरस) के संबंध में दिशा निर्देश ।

--00--

COVID-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण विश्व के 135 देशों में फैल चुका है तथा लगभग डेढ़ लाख लोग इससे प्रभावित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे महामारी (Pandemic) घोषित किया गया है।

2/ उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए आज दिनांक 15.03.2020 राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि :-

1. स्कूलों और कॉलेजों को 31 मार्च 2020 तक बंद किया जाएँ।
2. सिनेमा हॉल तथा मैरिज हॉल को 31 मार्च 2020 तक बंद किया जाएँ ।
3. सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क, जिम तथा स्वीमिंग पूल्स, को 31 मार्च 2020 तक बन्द रखे जाने के लिये आदेश जारी किये जाएँ ।
4. आगनवाडियों को 31 मार्च 2020 तक बन्द किये जाने हेतु आदेश प्रसारित किये जाएँ।
5. कर्मचारियों की बायो-मेट्रिक उपस्थिति को 31 मार्च 2020 तक बंद किया जाए।
6. आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षणों तथा सार्वजनिक समारोहों को 31 मार्च 2020 तक स्थगित किया जाए।
7. धार्मिक समारोहों को कम से कम करने के लिए धार्मिक प्रमुखों से आग्रह किया जाए।

जाप्त किया
15/03/2020

8. 20 से अधिक लोगों की सभाओं के आयोजन को रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जाएँ।
9. विशेष तैयारियों एवं आपदा स्थिति से निपटने हेतु अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किया जाएँ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

P. L. J. G.
15/3/2020
(डॉ. पल्लवी जैन गोविल)

प्रमुख सचिव,
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन

पृ.क्रमांक-37/सत्रह/ मेडि-तीन
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 15 /03 /2020

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, राज्यपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा, मध्यप्रदेश।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश।
5. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश।
6. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि संचालनालय, भोपाल।
7. समस्त संभागीय संचालक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

P. L. J. G.
15/3/2020

प्रमुख सचिव,
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन